न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 62/18

GCMS NO 2018/00066

1. श्रीमती तुलसा बेवा बदरी
2. जगदीश पुत्र बद्री
3. हंसराज पुत्र बद्री
4. अजय पुत्र बद्री
5. जितेन्द्र पुत्र बद्री
6. श्रीमति सणगारी बेवा हरकेश
7. अशोक पुत्र हरकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सणगारी पत्नि स्व0 हरकेश
8. महेन्द्र पुत्र हरकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सणगारी पत्नि स्व0हरकेश समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप
2. अमृतलाल
3. श्यामलाल पिसरान श्रीनारायण
4. मु0रामकन्या बेवा रामनारायण
5. बत्तीलाल पुत्र रामनारायण
6. शांतिलाल पुत्र रामनारायण
7. शंभूदयाल पुत्र रामनारायण
8. केसन्ती बेवा जगराम
9. रूपनारायण पुत्र मूल्या
10. सीताराम पुत्र मूल्या
11. घनश्याम पुत्र मूल्या
12. कैलाशी पुत्री मूल्या
13. प्रेम पुत्री मूल्या
14. माधो पुत्र घीस्या
15. प्रहलाद पुत्र घीस्या
16. कजोड पुत्र जन्सी
17. अम्बालाल पुत्र जन्सी समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 464/81 निर्णय दिनांक 16.2.81 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम वैष्णव

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल,श्री जयप्रकाश

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19.5.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.2.81 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रामनिवास, कल्याण एवं मूल्या पिसरान नन्दा जाति माली एवं घीस्या ,जिन्सी पिसरान श्योबक्स जाति माली साकिन मलारना चौड द्वारा वरवक्त राजस्व अभियान केम्प मलारना चौड मे प्रार्थना पत्र धारा 53 आर टी एक्ट पेश कर आराजी खाता संख्या 735, 735,736 एवं 737 वाके ग्राम मलारना चौड का बंटवारा करने हेतु आपसी रजामंदी से मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर सहमति के आधार पर बंटवारा किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदार मिसल होने से लायके मंसूखी है। अपीलांट व रेस्पो० संख्या 1 लगायत 13 के बुर्जगान रामनिवास,कल्याण ,मूल्या पिसरान नन्दा माली की आराजीयात ग्राम मलारना चौड तहसील बौली मे स्थित है। सम्वत 2046–2049 की जमाबंदी मे तीनो भाईयो का हिस्सा बराबर बराबर का इन्द्राज हो रहा है। रामनिवास,कल्याण,मूल्या पिसरान नन्दा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख०न० 719 रकबा 9 बीघा 2 विस्वा चाही, 1074 रकबा 12 विस्वा चाही, 1179 रकबा 2 विस्वा नहरी, 1200 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा चाही, 1203 रकबा 9 विस्वा चाही, 1205 रकबा 2 विस्वा चाही, 1244/2 रकबा 16 विस्वा चाही, 1245/2 रकबा 4 विस्वा गैरमुमकिन, 1246/2 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा चाही, 1247 रकबा 19 विस्वा चाही, 1248 रकबा 3 विस्वा नहरी, 1249 रकबा 2 विस्वा नहरी, 1250 रकबा 13 विस्वा नहरी, 1252 रकबा 13 विस्वा चाही, 1253 रकबा 4 विस्वा चाही, 1255 रकबा 13 विस्वा चाही, 1304 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाडा, 1305 रकबा 2 विस्वा वाडा, 1482 रकबा 16 विस्वा चाही, 1487 रकबा 11 विस्वा नहरी, 1488 रकबा 19 विस्वा नहरी, 1489 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा नहरी, 1504 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 1505 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा नहरी, 1506 रकबा 9 विस्वा नहरी, 1507 रकबा 13 विस्वा नहरी, 1508 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा नहरी, 1509 रकबा 7 विस्वा नहरी, 1510 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा नहरी, 1514/2 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा नहरी, 1541 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा बारानी, 1542 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा बंजड, 1550 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा बारानी, 1551/1 रकबा 16 विस्वा बंजड डोल कुल किता 40 कुल रकबा 65 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम मलारना चौड मे स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान मे तीनो भाईयो का बंटवारा एक प्रार्थना पत्र पर ही आदेश देकर किया है। तीनो भाईयो रामनिवास, कल[illegible] के बराबर बराबर आराजीयात हिस्से मे आनी चाहिए थी। लेकिन रामनि[illegible] आराजी दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कल्याण के हिस्से मे 14 बीघा 10 विस्वा आराजीयात आई है तथा मूल्या के हिस्से मे 28 बीघा आराजीयात आई है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। कल्याण ने बंटवारे पर कोई अगूठा निशानी नही की थी। फर्जी अंगूठा निशानी बनाई है क्योकि कल्याण मौजूद होता तो कम आराजीयात बंटवारे मे क्यो लेता। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व बंटवारा किया है क्योकि निर्णय की डिकी पारित नही की है। घीस्या जिन्सी से अपीलांट की आराजीयात का कोई संबंध वास्ता नही है फिर भी घीस्या व जिन्सी को अपीलांट के बुजुर्गान की आराजीयात मे हिस्सा देकर बंटवारा किया है जो गलत है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय खारिज योग्य है। अपीलांट आज भी मौके पर 1/3 हिस्से पर काबिज है। अपीलांट को हल्का पटवारी ने दिनांक 2.2.18 को बताया कि तुम्हारे खाते मे 1/3 हिस्से की आराजीयात नही है मौके पर 1/3 हिस्से मे काबिज हो तब प्रार्थीगण को उक्त निर्णय का इल्म हुआ तो प्रार्थीगण ने रेस्पो0 से कहा कि तुम राजस्व रिकार्ड को सही कराओ तो रेस्पो0 ने जबाब दिया कि अब अभियान आयेगा तब राजस्व अभियान मे इन्द्राज दुरूस्त कराके आपके खाते मे 1/3 हिस्से की आराजीयात लगवा देगे। राजस्व अभियान मे रेस्पो0 नही गये साफ मना कर दिया कि हम राजस्व रिकार्ड सही नही करायेगे। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करनी पडी इसलिए निर्णय की डेट आफ नोलेज से अपील अन्दर मियाद पेश है। कानूनन अनाधिकृत आदेश को कभी भी चलेन्ज किया जा सकता है इसके संबंध मे माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित अनेक निर्णयो मे स्पष्ट किया गया है जिसकी कोई मियाद नही है। कानून मियाद के आधार पर किसी के हक एवं अधिकारो समाप्त नही किये जा सकते है। अतःअपीलांट की अपील मियाद शुमार मानी जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ताओ ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील बिलम्व से पेश करने के संबंध मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे मियाद का कोई स्पष्ट एवं विधिक कारण का उल्लेख नही किया है। जिससे की बिलम्व के सबंध मे कोई प्रतिउत्तर दिया जा सके। चूकिः विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है जिसमे आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है। जब पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा होता है तो कानूनन उसकी अपील नही की जा सकती है। जिन भाईयो के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है उनको मरे अर्सा दराज का समय हो चुका है। उक्त सहमति के आधार पर हुए बंटवारे का राजस्व रिकार्ड मे अमल हो चुका है एवं काश्तकार बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। यदि अब उक्त बंटवारो को अपील की आड मे निरस्त किया जाता है तो पक्षकारो को काफी असुविधा होगी क्योकि बंटवारे अनुसार काश्तकारो द्वारा अपने अपने हिस्से पर पुख्ता निर्माण करवाकर बोरिंग आदि लगवाकर बिजली कनेक्शन लिये हुए है एवं अपने अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा लगाकर काश्त योग्य बनाया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि बंटवारे मे रेस्पो0 संख्या 14,15 व 16 को भूमि दी गई है जबकि वह खा[illegible] यह कथन गलत है क्योकि रेस्पो0 14 ता 16 के बुजुर्गान उक्त आराजीयात मे संयुक्त खाते[illegible] थे जिनको हिस्से अनुसार भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बंटवारे मे दी गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारे के विरूद्व पेश की गई है जिसकी अपील चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 13 के बुर्जगान रामनिवास,कल्याण ,मूल्या पिसरान नन्दा माली की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका विधिवत बंटवारा उनके द्वारा आपसी सहमति से दौराने राजस्व अभियान मे कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसके अवलोकन से जाहिर है कि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे से रामनिवास को 25 बीघा 15 विस्वा , कल्याण को 14 बीघा 10 विस्वा तथा मूल्या को 28 बीघा 1 विस्वा एवं घीस्या, जंसी पुत्रान श्योबक्श को 2 बीघा 6 विस्वा दी गई है। जो कुल रकबा 71 बीघा 2 विस्वा होती है। जबकि उनके संयुक्त खाते मे भूमि 71 बीघा 6 विस्वा भूमि रही है। जो जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे मे संयुक्त खातेदारो को भूमि किसी को कम एवं किसी को ज्यादा दी गई है। जबकि बंटवारे मे संयुक्त खातेदारो को भूमि का विभाजन बराबर बराबर किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा विधिक बंटवारा नही है। संयुक्त खातेदारो को सम्पूर्ण भूमि मे से बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे का निरस्त कर विवादित भूमि के बाबत मौके एंव कब्जे के अनुसार पुनः तहसीलदार से बंटवारा स्कीम प्राप्त कर विधिवत बंटवारा करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के मु0नं0 464/81 मे पारित निर्णय दिनांक 16.2.81 को को निरस्त किया जाता है। चूकि:विवादित आराजीयात वर्तमान मे उपखण्ड अधिकारी मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर के क्षैत्राधिकार मे होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मलारना डूँगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे खाता संख्या 734 लगायत 737 ग्राम मलारना चौड के संयुक्त खातेदारो की आराजीयात की मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट के आधार बंटवारा स्कीम प्राप्त की जाकर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलारना डूँगर के यहॉ दिनांक 16.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:10 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner